रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244] नई दिल्ली, बुधवार, मई 20, 1987/वैशाख 30, 1909
No. 244] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20, 1987/VAISAKHA 30, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(सड़क पक्ष)

नई दिल्ली, 20 मई, 1987

शुद्धिपत्र

का.आ. 506(अ) :—भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खंड 3(ii), दिनांक 20 अगस्त, 1986 में पृष्ठ 1 से 7 तक प्रकाशित भारत

सरकार के तत्कालीन परिवहन मंत्रालय (जल-भूतल परिवहन विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 496(अ), दिनांक 20 अगस्त, 1986 में —

पृष्ठ 6 पर, नियम 6 की पंक्ति 3 में "पच्चीस लाख" को "पच्चीस लाख रुपये" पढ़ा जाये।

पृष्ठ 7 पर, नियम 10 के खंड (ख) की पंक्ति 3 में "(i)" को "(1)" पढ़ा जाये।

[फा.सं. एन एच-11012/1/87-एन एच-III/डी-I]

के.के. सरीन, महानिदेशक (सड़क विकास)
और अपर सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Roads Wing)

New Delhi, the 20th May, 1987

CORRIGENDA

S.O. 506(E) —In the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Transport (Department of Surface Transport) No. S.O. 496(E), dated the 20th August, 1986, published at pages 1 to 7 of the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3(ii), dated the 20th August, 1986, —

at page 6, in rule 6, line 3, for "twenty five lakhs", read "rupees twenty five lakhs";

at page 7, in rule 10, clause (b) line 3, for "(i)" read "(1)".

[F. No. NH-11012/1/87-NHIII DI]

K. K. SARIN, Director General (Road Development) & Addl Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987